



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 513 राँची, मंगलवार, 18 अक्टूबर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2022

संचिका संख्या- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 5926--WP(S) No. 3843/2021 राजकिशोर प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, WP(S) No. 3405/2021 रश्मि लकड़ा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, WP(S) No. 1390/2021 अशोक कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा WP(S) No. 1422/2021 राम सागर तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

"34. As a sequitur of the aforesaid rules, guidelines and judicial pronouncements, I find impugned order issued vide Memo No. 6752, dated 24.12.2020, by the Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Government of Jharkhand, is not tenable in the eyes of law and the same is hereby quashed and set

aside. As a result of quashment of the blanket order of stay, I, hereby, direct the concerned head of the departments to grant promotion to the petitioners whose cases were considered for promotion by the Departmental Promotion Committee, within a period of four weeks from today. State is further directed to come out with Notification regarding promotion to all such petitioners who have knocked door of this Court with all consequential benefits irrespective of the fact that they have retired. Their cases will be considered from retrospective effect i.e. the date on which they have been found fit for promotion. Since blanket order of stay has been quashed, it is further directed to all head of the departments to consider case of employees for promotion who are otherwise found fit for promotion and if there is no any other legal impediment."

2. विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 द्वारा राज्य सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी ।

3. दिनांक 24.12.2020 को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत उप सचिव कोटि को संयुक्त सचिव कोटि में प्रोन्नति हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में याचिका संख्या- WP(S) No.- 2112/2021 नागेंद्र चौधरी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया था ।

4. विभागीय पत्रांक-3463 दिनांक-03.06.2022 द्वारा प्रोन्नति पर जारी स्थगन सम्बन्धी आदेश संख्या-6752 दिनांक-24.12.2020 को आहरित करते हुए विभागीय पत्रांक-3479 दिनांक-03.06.2022 द्वारा प्रोन्नति की कार्रवाई का आदेश दिया गया है ।

5. वाद संख्या WP(S) No.-1390/2021, WP(S) No.- 1422/2021, WP(S) No.- 3405/2021 एवं WP(S) No.- 3843/2021 में प्रोन्नति हेतु कुल 49 याचिकाकर्त्ता हैं, जो विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक-24.12.2020 की विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा से अच्छादित हैं। समिति द्वारा कुल 131 पदाधिकारियों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में अनुशंसा की गयी थी तथा एक अन्य पदाधिकारी श्री मदनमोहन प्रसाद के सम्बन्ध में सशर्त अनुशंसा की गयी थी ।

6. झारखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत उप सचिव कोटि (वेतनमान **PB-III**, रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे० रु० 7600/- पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) को संयुक्त सचिव कोटि (वेतनमान **PB - IV**, रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे० रु० 8700/- पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति विचार हेतु एवं श्री संजय कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग तथा श्री उत्तम कुमार झा, संयुक्त सचिव, स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा कनीय पदाधिकारी को संयुक्त सचिव कोटि में दिये गये प्रोन्नति की तिथि से संयुक्त सचिव के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करने सम्बन्धी किये गये अनुरोध के आलोक में वैचारिक प्रोन्नति दिये जाने पर विचार हेतु दिनांक 24.12.2020 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत की गई थी ।

7. समिति द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत उप सचिव कोटि के कुल 05 पदाधिकारियों की प्रोन्नति के संबंध में निम्न अनुशंसा की गई है :-

क्र. सं.	वरी. क्र.	उप सचिव का नाम, पदस्थापन एवं कोटि	जन्म तिथि/से.नि.	सहायक/प्र.पदा./अवर सचिव/उप सचिव के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि	आरक्षण कोटि, जिसके विरुद्ध प्रोन्नति अनुशंसित है।	समिति की अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7
1	424	श्री अजय कुमार, खान एवं भू-तत्व विभाग सम्प्रति सेवानिवृत्त	01.01.1961 31.12.2020	25.03.1987 30.12.2008 04.04.2012 26.11.2018	अनारक्षित	प्रोन्नति के योग्य
2	425	श्री नागेन्द्र चौधरी, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग सम्प्रति सेवानिवृत्त	25.05.1961 31.05.2021	13.04.1987 30.12.2008 04.04.2012 26.11.2018	अनारक्षित	प्रोन्नति के योग्य
3	434	श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	15.12.1962 31.12.2022	06.04.1987 30.12.2008 04.04.2012 26.11.2018	अनारक्षित	प्रोन्नति के योग्य
10	455	श्री अखिलेश कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग सम्प्रति सेवानिवृत्त	16.12.1961 31.12.2021	05.09.1986 30.12.2008 04.04.2012 26.11.2018	अ0जा0	प्रोन्नति के योग्य
11	526	श्रीमती पार्वती हंस, वाणिज्य-कर विभाग सम्प्रति सेवानिवृत्त	08.06.1962 30.06.2022	23.08.1989 25.01.2008 04.04.2012 26.11.2018	अ0ज0जा0	प्रोन्नति के योग्य

8. इसके अतिरिक्त श्री संजय कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग तथा श्री उत्तम कुमार झा, संयुक्त सचिव, स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा कनीय पदाधिकारी को संयुक्त सचिव कोटि में दिये गये प्रोन्नति की तिथि से संयुक्त सचिव के पद पर

वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करने सम्बन्धी किये गये अनुरोध के आलोक में वैचारिक प्रोन्नति दिये जाने पर विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में विचार किया गया, जिसमें समिति द्वारा उक्त द्वय पदाधिकारियों के सम्बन्ध में निम्नवत् अनुशंसा की गई है :-

क्र.	वरी. क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं पदस्थापन	जन्म तिथि/ से.नि. की तिथि	संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नति/ पदस्थापन की तिथि	आरक्षण रॉस्टर बिन्दु जिसके विरुद्ध प्रोन्नति अनुशंसित है।	समिति की अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7
1	396	श्री संजय कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,	07.10.1962 31.10.2022	31.01.2020 28.02.2020	अनारक्षित	श्री संजय कुमार पाण्डेय एवं श्री उत्तम कुमार झा से कनीय श्री अशोक कुमार कर्ण, वरीयता क्रमांक - 403 को उप सचिव के पद पर दिनांक 30.05.2016 को प्रोन्नति दी गई थी। उक्त पद का प्रभार दिनांक- 31.05.2016 को श्री कर्ण द्वारा ग्रहण किया गया था। का०प्र०सु० तथा राज० विभाग के पत्रांक- 3286 दिनांक 04.04.2014 तथा 10483 दिनांक 24.10.2014 के आलोक में धारित पद पर 01 (एक) वर्ष की कालावधि पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक- 27.07.2018 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-5680 दिनांक 30.07.2018 द्वारा श्री कर्ण को संयुक्त सचिव कोटि में प्रोन्नति प्रदान की
2	398	श्री उत्तम कुमार झा, संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	10.01.1961 31.01.2021	31.01.2020 28.02.2020	अनारक्षित	

					गई। उप सचिव कोटि से संयुक्त सचिव कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 27.07.2018 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री संजय कुमार पाण्डेय एवं श्री उत्तम कुमार झा के उप सचिव कोटि में प्रोन्नत नहीं होने के कारण इन दोनों की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया गया। दिनांक-18.10.2019 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में उक्त द्वय पदाधिकारियों की उप सचिव के पद पर 01 (एक) वर्ष धारित पद पर पदस्थापित रहने की अवधि पूरी नहीं किये जाने के कारण संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नति निमित्त माह जनवरी, 2020 में प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत कर प्रोन्नति पर विचार किये जाने की अनुशंसा की गई। उक्त द्वय पदाधिकारियों के द्वारा उप सचिव के पद पर 01 (एक) वर्ष की कालावधि दिनांक-11.01.2020 को पूरी करने के उपरान्त का०प्र०सु० तथा राज० विभाग के संकल्प संख्या-3286 दिनांक 04.04.2014 तथा 10483
--	--	--	--	--	---

						दिनांक-24.10.2014 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक-22.01.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-705 एवं 706 दिनांक 31.01.2020 के द्वारा संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। अतएव उपर वर्णित स्थिति में श्री संजय कुमार पाण्डेय एवं श्री उत्तम कुमार झा, संयुक्त सचिव को दिनांक 30.07.2018 के प्रभाव से संयुक्त सचिव के पद पर वैचारिक प्रोन्नति के अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।
--	--	--	--	--	--	--

09. श्री अजय कुमार, वरीयता क्रमांक-424 (विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही का क्रमांक 1) दिनांक-31.12.2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।
10. श्री नागेन्द्र चौधरी, वरीयता क्रमांक-425 (विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही का क्रमांक 2) दिनांक-31.05.2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।
11. श्री अखिलेश कुमार, वरीयता क्रमांक-455 (विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही का क्रमांक 4) दिनांक-31.12.2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।
12. श्रीमती पार्वती हंस, वरीयता क्रमांक-526 (विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही का क्रमांक 5) दिनांक-31.12.2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।
13. अतः दिनांक-24.12.2020 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारी को झारखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत उप सचिव कोटि (वेतनमान PB-III, रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे० रु० 7600/- पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) को संयुक्त सचिव कोटि (वेतनमान PB - IV, रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे० रु० 8700/- पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में वर्तमान धारित पद को उत्क्रमित करते हुए प्रोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका आर्थिक लाभ दिनांक-24.12.2020 से देय होगा :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम/ कोटि क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3
1.	श्री अजय कुमार, वरीयता क्रमांक-424	सेवानिवृत्ति की तिथि-31.12.2020 (खान एवं भूतत्व विभाग)
2.	श्री नागेन्द्र चौधरी, वरीयता क्रमांक-425	सेवानिवृत्ति की तिथि-31.05.2021 (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)
3.	श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, वरीयता क्रमांक-434	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
4.	श्री अखिलेश कुमार, वरीयता क्रमांक-455	सेवानिवृत्ति की तिथि-31.12.2021 (नगर विकास एवं आवास विभाग)
5.	श्रीमती पार्वती हंस, वरीयता क्रमांक-526	सेवानिवृत्ति की तिथि-30.06.2022 (वाणिज्य-कर विभाग)

14. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74, झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2074/वि(2) दिनांक 04.04.1985 जो भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति व आर्थिक लाभ नहीं दिये जाने के प्रावधान से संबंधित है एवं अन्य संगत परिपत्रों को विशेष परिस्थिति में शिथिल करने की स्वीकृति दी जाती है।

15. यह प्रोन्नति W.P.(S) No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी।

16. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संलेख ज्ञापांक-5730 दिनांक-13.09.2022 में सन्निहित प्रस्ताव पर दिनांक-14.09.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक की मद संख्या-10 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।
